न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA083 Mangilal etc Vs Sujaram n ors

1. मांगीलाल पुत्र हेमाराम विश्नोई
2. सुखराम पुत्र हेमाराम विश्नोई
3. जसराज पुत्र हेमाराम विश्नोई
4. इमरताराम पुत्र हेमाराम विश्नोई
5. हरीराम पुत्र हेमाराम विश्नोई

निवासीगण ग्राम पडियाल,
तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. सुजाराम पुत्र कुशालाराम विश्नोई, निवासी ग्राम चाकू, तहसील बाप, जिला जोधपुर
2. बिरुराम पुत्र कुशालाराम विश्नोई, निवासी ग्राम चाकू, तहसील बाप, जिला जोधपुर
3. रामरखराम पुत्र मेहराजराम विश्नोई, निवासी ग्राम मोटाई, तहसील बाप, जिला जोधपुर
4. पनाराम पुत्र मेहराजराम विश्नोई, निवासी ग्राम मोटाई, तहसील बाप, जिला जोधपुर
5. आसुराम पुत्र मेहराजराम विश्नोई, निवासी ग्राम मोटाई, तहसील बाप, जिला जोधपुर
6. बलवन्ताराम पुत्र रणजीताराम विश्नोई, निवासी ग्राम भोजासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर
7. हनुमानराम पुत्र रणजीताराम विश्नोई, निवासी ग्राम भोजासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर
8. रतनाराम पुत्र भरमलराम विश्नोई, निवासी ग्राम नौखडा भाटीयान, तहसील बाप, जिला जोधपुर
9. हरीगोपाल पुत्र भरमलराम विश्नोई, निवासी ग्राम नौखडा भाटीयान, तहसील बाप, जिला जोधपुर
10. रामलाल पुत्र भरमलराम विश्नोई, निवासी ग्राम नौखडा भाटीयान, तहसील बाप, जिला जोधपुर
11. विशालराम पुत्र रामकिशन विश्नोई, निवासी ग्राम नौखडा भाटीयान, तहसील बाप, जिला जोधपुर
12. मांगीलाल पुत्र रामकिशन विश्नोई, निवासी ग्राम नौखडा भाटीयान, तहसील बाप, जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

13. सुखी पत्नी रामकिशन विश्नोई, निवासी ग्राम नौखडा भाटीयान, तहसील बाप, जिला जोधपुर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर

-----रेस्पो.

15. संचालक आंगनवाडी केन्द्र हनुमान सागर, तहसील बाप, जिला जोधपुर
16. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक, शाखा घंटियाली, तहसील बाप, जिला जोधपुर
17. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. शाखा कानसिंह की सिड, तहसील बाप, जिला जोधपुर
18. ग्राम पंचायत नारायणपुरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर

----- प्रफोर्मा रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 18 जनवरी 2018 राजस्व वाद संख्या 118/2016 सुजाराम व अन्य बनाम रामरखराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री छैलाराम विश्नोई व हुक्माराम प्रजापत अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से पांच तथा 8 से 13 तक
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 14
श्री जी.के.चाण्डा,अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 17
अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 22 नवम्बर 2019

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 118/2016 सुजाराम व अन्य बनाम रामरखराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 18 जनवरी 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 06 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। साथ ही एक अन्य प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर स्वयं को वादग्रस्त आराजी में हितबद्ध व्यक्ति होना तथा अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्ष होना जाहिर करते हुए अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 92ए एवं 188 के तहत एक दावा राजस्व ग्राम हनुमान सागर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील बाप के मूल खसरा संख्या 697 रकबा 243 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 240 रकबा 293 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 173 रकबा 525 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 64 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा तथा खसरा संख्या 66 रकबा 25 बीघा 02 बिस्वा ग्राम कलथल की भूमि बाबत वाद प्रस्तुत किये जाने तक किये गये समस्त इन्द्राजात को निरस्त किये जाकर

1. मूल खसरा संख्या 697 के कुल रकबा 243 बीघा 07 बिस्वा में
    a. ⅓ हिस्सा यानि 81 बीघा 02 बिस्वा वादी-रेस्पो. संख्या एक का,
    b. ⅓ हिस्सा यानि 81 बीघा 07 बिस्वा वादी-रेस्पो. संख्या 2 का,
    c. प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन को 55 बींधा 18 बिस्वा भूमि का,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

d. प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को 25 बीघा भूमि का, तथा

e. प्रतिवादी संख्या 12 को प्रतिवादी संख्या 2 के उक्त 55 बीघा 18 बिस्वा में ⅓ हिस्से में से 1 बीघा 01 बिस्वा भूमि का

2. ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र चाखू तहसील बाप के मूल खसरा संख्या 173 रकबा 525 बीघा 17 बीघा में

a. ⅓ हिस्सा यानि 171 बीघा 03 बिस्वा में वादी संख्या एक को से 66 बीघा 03 बिस्वा बाबत, 100 बीघा भूमि बाबत प्रतिवादीगण संख्या 6 से 11 को तथा बकाया 5 बीघा भूमि बाबत प्रतिवादी संख्या 15 को खातेदार घोषित किया जावे। ⅓ हिस्सा यानि 177 बीघा 05 बिस्वा में से 172 बीघा 5 बिस्वा बाबत वादी संख्या 2 तथा बकाया 5 बीघा भूमि बाबत प्रतिवादी संख्या15 को खातेदार घोषित किया जावे।

b. तृतीय ⅓ हिस्सा यानि 177 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 122 बीघा 07 बिस्वा भूमि बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को, 50 बीघा 02 बिस्वा बाबत प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को तथा बकाया 5 बीघा भूमि बाबत प्रतिवादी संख्या 15 को खातेदार घोषित किया जावे।

3. ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र चाखू के खसरा संख्या 64 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 66 रकबा 25 बीघा 02 बिस्वा में वादी संख्या 2 व पटवारी संख्या 1 से 3 को ⅓-⅓ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

4. विकल्प में उक्त समस्त आराजिया वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके बंट एवं हिस्सा अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के अलग-अलग खाते कायम किये जाकर राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने बाबत पेश किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद 20 जुलाई 2016 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। 17 मई 2017 को प्रतिवादीगण संख्या 2 व 4 से 11 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट नारायणपुरा में उपस्थित होकर वाद में इकबालिया जबाबदावा पेश किया। उक्त प्रतिवादीगण की पहचार सरपंच ग्राम पंचायत नारायणपुरा द्वारा की गयी। इसके बाद दिनांक 12 जनवरी 2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 4 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री रिछपालसिंह ने वकालतनामा पेश किया। इन प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जबाबदावा पेश किया जा चुका था, अन्य किसी प्रतिवादी की ओर से जबाबदावा पेश नहीं हुआ, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गयी और मामले में सीधे बहस समायत की गयी तथा दिनांक 18 जनवरी 2018 को वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो का दावा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स ने यह आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि

1. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो ने विभिन्न खसरान की आराजियात के संबंध में राजस्व वाद पेश किया, जिनमें खसरा संख्या 173 रकबा 525 बीघा 17 बिस्वा भी है, इस खसरा की भूमि के अतिरिक्त अन्य खसरान की आराजियात के संबंध में अपीलाण्ट्स को कोई एतराज नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2. खसरा संख्या 188 रकबा 91 बीघा 14 बिस्वा व 173 रकबा 525 बीघा 17 बिस्वा व अन्य खसरा के मूल खातेदारान महराज, चन्दा पिसरान भाखर ⅔ हिस्सा व लिच्छू उर्फ बिरु पुत्र फगलु ⅓ हिस्सा वक्त बंदोबस्त दर्ज था।
3. मूल खातेदारान ने खसरा संख्या 188 रकबा रकबा 91 बीघा 14 बिस्वा व 173 रकबा 525 बीघा 17 बिस्वा में से 25 बीघा भूमि कुल 116 बीघा 14 बिस्वा भूमि का बेचान अपीलाण्ट्स के दादा उदा पुत्र पना को दिनांक 15 मई 1957 को कर दिया था।
4. उक्त बेचान के आधार पर म्युटेशन संख्या 126 स्वीकृत हुआ और खसरा संख्या 188 सम्पूर्ण 91 बीघा 14 बिस्वा और खसरा संख्या 173 में से 25 बीघा बतौर खसरा संख्या 173/1 राजस्व रिकार्ड में केता के नाम दर्ज किये गये। केता उदा के देहान्त के बाद राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट्स के पिता हेमाराम का नाम जरिये म्युटेशन संख्या 881 दर्ज हुआ। जिसमें खसरा संख्या 173/5 दर्ज किया गया। नाम गलत दर्ज हो जाने से त्रुटि सुधार भी करवाया गया।
5. अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि खसरा संख्या 173 में से अपीलाण्ट्स के दादा को 25 बीघा भूमि बेचान करने के बाद मूल खसरे का रकबा 500 बीघा 17 बिस्वा रहा, जिसका रेस्पो. के मध्य पारिवारिक बंटवारा के आधार पर म्युटेशन संख्या 546 स्वीकृत हुआ, जिसमें भी उक्त खसरा का रकबा 500 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है।
6. उक्त बंटवारे के आधार पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 546 के खिलाफ सहखातेदार फगलू द्वारा एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष पेश की गयी, जो अपील संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

41/2007 दिनांक 24 जून 2009 को स्वीकार की जाकर म्युटेशन संख्या 546 निरस्त कर दिया गया।

7. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के उक्त आदेश दिनांक 24 जून 2009 को न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा द्वितीय अपील संख्या 132/2009 में पारित आदेश दिनांक 05 जुलाई 2012 के द्वारा संपुष्ट किया गया।

8. इस प्रकार अपीलाण्ट्स के पूर्वजों के द्वारा खसरा संख्या 173 में से की गयी 25 बीघा भूमि के खरीद के कारण इस खसरा 25 बीघा रकबे बाबत निरन्तर राजस्व रिकार्ड में उनके पक्ष में इन्द्राज होता रहा, मगर जमाबंदी संवत 2068 से 2071 में म्युटेशन संख्या 546 ग्राम चाखु निरस्त का नोट अंकित कर नवीन अंकन रेस्पो. के नाम बिना किसी कारण व आधार के कर दिया गया। इस कारण अपीलाण्ट्स द्वारा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक प्रार्थनापत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष भी पेश किया गया, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

9. अपीलाण्ट्स के पिता हेमाराम का दिनांक 01 मई 2018 को देहान्त हो चुका है। अतः विधिक वारिसान द्वारा अदालत हाजा के समक्ष यह आलौच्य अपील पेश की गयी है।

अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. ने तथ्यों को छिपाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीपारित करवायी है। अतः आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि जिस रजिस्ट्री के आधार पर अपीलाण्ट्स खसरा संख्या 173 में से 25 भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कय करना जाहिर करते है, वह रजिस्ट्री फर्जी थी, उसके आधार पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 546 उपखण्ड अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय के खिलाफ प्रस्तुत अपील भी अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा खारिज की जा चुकी है, जिससे आगे कोई चाराजोई नहीं की गयी है। राजस्व अभिलेख में म्युटेशन संख्या 546 निरस्त वर्णित कर नवीन इन्द्राजात के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत जो प्रार्थनापत्र अपीलाण्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष पेश किया गया है, वह अभी विचाराधीन है, उस पर अभी कोई अंतिम या अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट्स प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः इस संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं आलौच्य अपील खारिज किये जावें। अन्य खसरान के संबंध में कोई विवाद नहीं होना स्वयं अपीलाण्ट्स ने अपील मीमों में स्पष्ट कर दिया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील खसरा संख्या 188 एवं 173 की 25 बीघा भूमि के संबंध में पेश की है। खसरा संख्या 188 के संबंध में वादीगण ने अपने वाद में कोई रिलीफ ही नहीं चाही है। अतः इस संबंध में आलौच्य अपील में किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

जहॉ तक खसरा संख्या 173 कुल रकबा 525 बीघा 17 बिस्वा में से 25 बीघा भूमि अपीलाण्ट्स के दादा को बेचान किये जाने का प्रश्न है, इसका सीधा संबंध म्युटेशन संख्या 546 से नहीं जोडा जा सकता है। यह ज्ञातव्य है कि म्यटेशन संख्या 546 खसरा संख्या 173 एवं अन्य खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नम्बरान के सहखातेदारान मेहराज, चन्दा पिसरान भाखर व लिच्छू उर्फ बिरू पुत्र फगलु के मध्य आपसी सहमति से हुए बंटवारे से था, जिसका संदर्भ अपीलाण्ड्स द्वारा इस अपील में इस मन्तव्य से दिया जा रहा है कि उक्त बंटवारे में भी खसरा संख्या 173 का रकबा 525 बीघा 17 बिस्वा की बजाय **बेची गयी 25 बीघा भूमि कम करके 500 बीघा 17 बिस्वा ही वर्णित** किया गया है। अब यदि उक्त पारस्परिक बंटवारे बाबत स्वीकृत म्युटेशन खारिज होता है या खारिज नहीं होता है, तो उसका अपीलाण्ड्स के दादा द्वारा खरीदे गये भू-भाग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है क्योंकि अव्वल, उक्त म्युटेशन संख्या 546 मात्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि सरपंच ग्राम पंचायत को उसे स्वीकृत करने का अधिकार उपलब्ध नहीं था। द्वितीय, म्युटेशन की कार्यवाही मात्र एक फिस्कल कार्यवाही होती है, जिसके द्वारा पक्षकारान के खातेदारी अधिकारों का विनिश्चयन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार जब राजस्व रिकार्ड जमाबंदी (संवत 2015 से 2068 तक) में **अपीलाण्ड्स के पिता का नाम** वादग्रस्त आराजी बाबत अभिलिखित खातेदार के रूप दर्ज है तो निश्चय ही अपीलाण्ड्स वारिसान के रूप में **वादग्रस्त आराजी में हितबद्ध पक्षकार है** और उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक हो जाता है।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं था, इस कारण अपीलाधीन निर्णय बाबत समुचित समय में उसे जानकारी नहीं होना भी स्वभाविक है, ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में कण्डोन करते हुए अपील अन्दर मियादशुमार किया जाता है।

इन सभी तथ्यों एवं परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए सिविल प्रकिया संहिता की धारा 96 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गुणावगुण पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी आराजी खसरा संख्या 173 कुल रकबा 525 बीघा 17 बिस्वा की सीमा तक अपास्त किया जाता है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मामले में बतौर प्रतिवादी अपीलाण्ट्स को पक्षकार स्वीकार किया जाकर उन्हें जबाब पेश करने का अवसर दिया जावे। जबाब प्रस्तुत होने पर दावे एवं जबाब के आधार पर नियमानुसार तनकियात कायम की जावे और उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद विधिसम्मतः प्राथमिक डिकी एवं निर्णय पारित किये जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 22/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर